International Institute of Public Interest Law

581. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the International Institute of Public Interest Law has been set up recently;

(b) if so, what are the objectives of this Institute, its nature constitution, functions and membership qualifications and their obligation and rights; and

(c) what are the details of the members of this Institute;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) A private organisation namely International Institute of Public Interest Law was inagurated on 27.1.1994 but has not yet been registered. Aims and Objects would be known only after registration.

बढ़ते हुए लम्बित मामलों पर सरकार की प्रतिक्रिया

582. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण मुकदमों के लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने 31 जनवरी, 1994 तक इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) प्रत्येक दस लाख लोगों के लिये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और वर्ष 1993 में प्रति दस लाख लोगों के पीछे कितने अपराध हुए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) लंबित मामलों में वृद्धि अनेक जटिल कारणों से है जिसमें न्यायाधीशों की कमी भी है।

(ख) 31 जनवरी, 1994 तक, भारत सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 513 स्थायी/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अलावा स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 62 नए पद सृजित करने का विनिश्चय किया है। अधीनस्थ न्यायालयों का न्याय प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है, यह उनका दायित्व है कि वे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करें।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1991 में प्रत्येक दस लाख व्यक्तियों के लिए न्यायाधीशों की संख्या 13.08 थी। 1991 के दौरान किए गए अपराधों की संख्या प्रति दस लाख व्यक्ति लगभग 5980 थी।

Review of Transfer Policy of Judges

583. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering to review its present transfer policy of Judges from one High Court to the other; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) The Government have accepted as a policy, recommendations of the Law Commission, in its 80th Recport that there should be a convention according to which 1/3rd of Judges in each High Court should be from any other State. Pursuant to this policy, the Government is transferring Judges from one High Court to another on the advice of the Chief Justice of India.

No change in the existing policy is contemplated.

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन

584. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष किन-किन राज्यों की विधान सभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में निर्वाचन की संभावित तिथि क्या-क्या है; और

(ख) क्या सरकार आगामी चुनावों में इलैक्ट्रानिक उपकरण उपलब्ध कराने और फोटो-परिचय पत्र जारी करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) सिक्किम और कर्नाटक